



2026:AHC:63313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3850 वर्ष 2026

शिव दत्त

..... याचिकाकर्ता

बनाम

ज्ञान सिंह एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

सचिदानंद त्रिपाठी, संजीव कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता(गण)

:

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार को सुना गया।
2. प्रस्तावित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं की जा रही है।
3. प्रतिवादी-याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ हुई और उ.प्र. चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9ए(2) के अंतर्गत आपत्ति का निर्णय चकबंदी अधिकारी ने 02.02.2024 को वादी-प्रत्यर्थी के नाम दर्ज करने के लिए किया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी-याचिकाकर्ता पक्ष ने उ.प्र. चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अपील दाखिल की, जिसमें 03.02.2024 को अंतरिम आदेश प्रदान किया गया, जो अपीलीय न्यायालय ने 02.08.2024 को रद्द कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी-याचिकाकर्ता पक्ष ने अपील दाखिल

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की। धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण दाखिल किया गया, जिसमें 13.08.2024 को आदेश 02.08.2024 को अपास्त करते हुए आदेश पारित किया गया।

4. इसे प्रश्नगत करते हुए, वादी-प्रत्यर्थी सतीश चन्द्र ने रिट-बी संख्या 3394 / 2024 दाखिल किया, जिसमें 06.11.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

"1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अनुमति है कि वे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, कन्नौज को आज ही दिन के दौरान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या-4 के रूप में पक्षकार बनाएं।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, प्रतिवादी संख्या- 3 के विद्वान अधिवक्तागण श्री विमल कुमार, श्री संजीव कुमार, श्री नंद लाल यादव तथा राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री तरुण गौर को सुना गया।

3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 9ए(2) के अंतर्गत आपति का निर्णय चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 2.2.2024 के आदेश से याचिकाकर्ता एवं अन्य का नाम दर्ज करने के लिए किया गया। चकबंदी अधिकारी के 2.2.24 के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या- 3 ने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत स्वामित्व वाद अपील संख्या 202454033900000040 दाखिल की, जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कन्नौज के समक्ष निस्तारण हेतु अभी भी लंबित है। उक्त अपील की लंबितता के दौरान प्रारंभ में 3.2.2024 को अंतरिम आदेश दिया गया, जो बाद में अपीलीय न्यायालय द्वारा 2.8.2024 के आदेश से रद्द कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय के 2.8.2024 के उक्त अंतरिम आदेश रद्द करने के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 ने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण दाखिल किया, जो दिनांक 13.8.2024 के प्रश्नगत आदेश के अंतर्गत स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायालय के 2.8.2024 के आदेश को अपास्त कर दिया गया और मामला अपीलीय न्यायालय के समक्ष विधि के अनुसार कार्यवाही का निर्णय करने के लिए वापस भेजा गया। अतः निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'(i) प्रतिवादी संख्या- 2 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 0307/2024 (शिव दत्त बनाम सतीश) उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के अंतर्गत पारित दिनांक 13.8.2024 के आदेश को उत्प्रेषण के स्वरूप में अपास्त करने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) प्रतिवादियों को विवादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे को विचलित न करने के लिए परमादेश के स्वरूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।'

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अपील में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण पोषणीय नहीं था, किंतु पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या- 3 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण पर विचार किया और अपील की लंबितता के दौरान पारित 2.8.2024 के आदेश को अपास्त कर दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत पुनरीक्षण आदेश को अपास्त किया जाए और अपीलीय न्यायालय को लंबित स्वामित्व वाद अपील का विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत पुनरीक्षण आदेश के अंतर्गत मामला अपीलीय न्यायालय को विधि के अनुसार स्वामित्व वाद अपील का निर्णय करने के लिए वापस भेजा गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्वामित्व वाद अपील में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का आदेश विधि के अनुसार है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दाखिल स्वामित्व वाद अपील प्रतिवादी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कन्नोंज, के समक्ष लंबित है। यह भी निर्विवाद है कि अपील की लंबितता के दौरान प्रारंभ में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया गया था, किंतु बाद में उसे रद्द कर दिया गया, अतः प्रतिवादी संख्या- 3 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकार करते हुए अपील में पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने वाले आदेश को अपास्त कर दिया गया।

8. चूँकि विवाद स्वामित्व से संबंधित है और प्रतिवादी संख्या- 3 द्वारा दाखिल स्वामित्व वाद अपील प्रतिवादी संख्या 4/बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कन्नौज के समक्ष लंबित है, अतः स्वामित्व वाद अपील की लंबितता के दौरान यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए यह उचित होगा कि अपीलीय न्यायालय उक्त स्वामित्व वाद अपील का निर्णय दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, प्रश्नगत पुनरीक्षण आदेश दिनांक 13.8.2024 में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में शीघ्रता से करे।

9. प्रश्नगत पुनरीक्षण आदेश दिनांक 13.8.2024 के विरुद्ध कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

10. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है और प्रतिवादी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, कन्नौज को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त स्वामित्व वाद अपील का निर्णय पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर, करें।"

5. प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अनुसार, वादी-प्रत्यर्थियों ने वाद संख्या 643 / 2025 न्यायालय कनिष्ठ खंड, छिबरामऊ, कन्नौज के समक्ष संस्थित किया, जिसमें 13.11.2025 को निषेधाज्ञा आदेश प्रदान किया गया, जो प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की आपत्ति पर 10.12.2025 को रद्द कर दिया गया, तथापि 19.12.2025 को वादी-प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया और अधोस्थ न्यायालय ने 19.12.2025 के आदेश द्वारा यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जबकि आपत्तियों की सुनवाई के लिए 23.01.2026 नियत की।

6. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत याचिका दाखिल की गई है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 19.12.2025 का आदेश, जो वादी-प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित किया गया, इस सरल कारण से अपास्त किए जाने योग्य है कि वाद विषय भूमि, जो चकबंदी कार्यवाही में विवादग्रस्त है, में पहले से ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित है, जिसे रिट-बी संख्या 3394 /2024 में 06.11.2024 के आदेश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है, और इस प्रकार एक ही अधिग्रहीत संपत्ति के संबंध में दो भिन्न मंचों से दो आदेश नहीं हो सकते। तर्क है कि एक बार आपत्ति दाखिल हो जाने पर आपत्ति स्वीकार होनी चाहिए थी और इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को चकबंदी कार्यवाही में पहले से अंतरिम संरक्षण प्राप्त है, आपत्ति के निस्तारण में देरी करते हुए यथापूर्व स्थिति का आदेश देने का कोई अवसर नहीं था।

8. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

9. न्यायालय की राय है कि चूँकि 19.12.2025 के प्रश्नगत आदेश के अनुसार प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा निषेधाज्ञा पर दाखिल आपत्तियाँ पहले से लंबित हैं, इसलिए अधोस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उनका निर्णय बिना किसी अनावश्यक स्थगन के अधिकतम शीघ्रता से, अधिमानतः अगली नियत तिथि पर, रिट-बी संख्या 3394 / 2024 में 06.11.2024 को पारित आदेश के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए करे, और यदि अगली नियत तिथि पर निर्णय न हो सके, तो बिना अनावश्यक स्थगन के अन्य तिथियों पर करे, और यदि स्थगन प्रदान किया जाना अपरिहार्य हो, तो वह केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही, विधिक बाधाओं के अधीन रहते हुए, प्रदान किया जाए।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

26 मार्च, 2026

राजेश